न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर जिला अजमेर

प्रकरण संख्या 26/2006

सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना, अलवगर गेट, अजमेर। ..... *प्रार्थी*

बनाम

श्री हेमन्तसिंह भाटी पुत्र श्री शंकरसिंह भाटी निवासी कृष्ण आशिष, भाटी हाउस, शंकर नगर, नगरा, अजमेर। ..... गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट 32 बोर पिस्टल रिवाल्वर 564666 का लाईसेन्स निरस्त करने बाबत

उपस्थितः— 1 लोक अभियोजक पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक — 21.02.2018

थानाधिकारी, पुलिस थाना, अलवर गेट, अजमेर द्वारा एक प्रार्थना पत्र बखिलाफ गैरसायल के इस आशय का प्रस्तुत किया कि गैरसायल के नाम एक 32 बोर पिस्टल रिवाल्वर नं0 564666 का लाईसेन्स जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा जारी किया हुआ है। दिनांक 23.10.2004 को इस 32 बोर पिस्टल द्वारा फायर किया गया जिस पर हेमन्त भाटी व 3—4 अन्य के विरूद्ध थाना अलवर गेट, अजमेर में मु0 नं0 322/04 धारा 307, 323, 147, 148, 149, 392 IPC के तहत दर्ज हुआ है जिसकी तफतीश CIDCB द्वारा की जा रही है। अतः गैरसायल का 32 बोर पिस्टल रिवाल्वर का लाईसेन्स निरस्त करने की कृपा करावें।

थानाधिकारी पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक उपस्थित आयें, जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। दौराने सुनवाई गैरसायल अभिभाषक गैरसायल के उपस्थित नहीं आने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया। सुनवाई दौरान प्रकट तथ्यों के मध्यनजर थानाधिकारी, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर से प्रकरण बाबत वर्तमान वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किया गया। दौराने सुनवाई गैरसायल/अभिभाषक गैरसायल के उपस्थित नहीं आने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि कि गैरसायल के नाम एक 32 बोर पिस्टल रिवाल्वर नं0 564666 का लाईसेन्स श्रीमान् के कार्यालय द्वारा जारी किया हुआ है। गैरसायल के विरूद्ध थाना अलवर गेट, अजमेर में दर्ज मु0 नं0 322/04 धारा 307, 323, 147, 148, 149, 392 IPC की तफतीश CIDCB द्वारा की गई जिसमें बाद अनुसंधान एफ.आर. दिनांक 12.2.2007 को न्यायालय जेएम 6 अजमेर में पेश किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.4.09 को एफ.आर स्वीकार की गई है। थानाधिकारी, पुलिस थाना, अलवर गेट अजमेर द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट दिनांक 27.7.2017 अनुसार समायत सलूक कानूनी फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हालांकि वरवक्त सुनवाई वकील गैरसायल उपस्थित नहीं हुए किन्तु न्यायहित में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उनका

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

कथन है कि पुलिस थाना अलवरगेट, अजमेर पर दर्ज मुकदमा संख्या 322/200, अन्तर्गत धारा 307, 323, 147, 148, 149, 392, भारतीय दण्ड संहिता प्रार्थी के विरूद्ध झूठा दर्ज किया गया है। क्रास केस प्रार्थी द्वारा भी दर्ज करवाया गया है, गैरसायल द्वारा कोई गैर कानूनी कृत्य नहीं किया गया है। प्रकरण संख्या 322/2004 का वर्तमान में सीआईडी पुलिस जयपुर द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल के विरूद्ध कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध विधि के प्रतिकूल है।

हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर मनन किया व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की सुनवाई दौरान प्रकट तथ्यों के प्रकाश में थानाधिकारी अलवर गेट से वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 27.7.2017 के अनुसार पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी द्वारा बाद अनुसंधान एफ. आर. नं0 06/07 दिनांक 7.02.2007 को अदम पता मुल्जिमान दी गई जो न्यायालय जेएम 6 अजमेर द्वारा दिनांक 02.4.2009 को स्वीकार की गई है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत गैरसायल को जारी 32 बोर पिस्टल नं0 564666 का लाईसेन्स निरस्त करने के पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज किया जाता है। पुलिस अधीक्षक, अजमेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे अपने स्तर पर मामले का पुर्ण परीक्षण कर, प्रकरण आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही योग्य पाये जाने पर पुनः पर्याप्त साक्ष्य/दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 21.02.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

21/02/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर